षोडश

बिहार विधान-सभा

चतुर्थ सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-1

सोमवार, तिथि $\frac{\text{07 अग्रहायण, 1938 (श0)}}{\text{28 नवम्बर, 2016 (ई0)}}$

प्रश्नों की कुल संख्या 66

(1) गृह विभाग	..	..	47
(2) अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	..	..	02
(3) उद्योग विभाग	..	..	02
(4) वित्त विभाग	..	..	02
(5) मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	..	..	05
(6) सामान्य प्रशासन विभाग	..	..	03
(7) गन्ना उद्योग विभाग	..	..	03
(8) निर्वाचन विभाग	..	..	01
(9) वाणिज्य-कर विभाग	..	..	01
		कुल योग —	66

अवैध कब्जा से मुक्ति

*1. श्री मुन्द्रिका सिंह यादव--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिला मुख्यालय के निजामुद्दीनपुर में चमड़ा का कारखाना बहुत पुराना है, जो बन्द पड़ा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त बन्द कारखाना का भवन एवं जमीन अवैध रूप से लोग कब्जा करते जा रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बन्द पड़े प्रश्नाधीन चमड़ा कारखाना को चालू कराने के साथ-साथ उसके भवन एवं जमीन को अवैध कब्जा से मुक्त कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

संचालित करना

*2. श्री सदानन्द सिंह--क्या मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत पीरपैंती मिरजा चौकी के पास एन0एच0 80 पर झारखंड और बिहार राज्य की सीमा पर 3 वर्ष पूर्व चेक पोस्ट लगाने की स्वीकृति हुई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त पथों से अधिभारित हजारों ट्रकों का परिचालन होता है, जिससे प्रतिदिन बिहार सरकार को राजस्व की क्षति होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो उपर्युक्त स्थल पर कबतक चेक पोस्ट संचालित कराने का विचार रखती है ?

पद का सृजन

*3. मो0 आफाक आलम--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत जलालगढ़ एवं श्रीनगर प्रखंड में उर्दू अनुवादक पद का सृजन आजतक नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रखंडों में उर्दू अनुवादक पद का सृजन कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्थापित करना

*4. श्री फैयाज अहमद--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2014 में प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में एक-एक अग्निशमन केन्द्र स्थापित किये जाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के बिस्फी विधान-सभा क्षेत्रान्तर्गत बिस्फी एवं रहिका प्रखंडों में अग्निशमन केन्द्र नहीं होने से प्रत्येक वर्ष अगलगी की घटनाएँ घटित होने पर जिला मुख्यालय से काफी विलम्ब से अग्निशमन दस्ता जाने के कारण जान-माल की क्षति होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त दोनों प्रखंडों में एक-एक अग्निशमन केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*5. श्री दिनेश चन्द यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि श्री गणेश यादव, ग्राम-मोवारकपुर, थाना-सलखुआ, जिला-सहरसा का भारतीय स्टेट बैंक शाखा सिमरी बख्तियारपुर में बचत खाता संख्या 30511294452 है ;

(2) क्या यह बात सही है कि श्री यादव के उक्त खाता से जालसाजी कर मो0 इरसाद अंसारी, पिता समी उद्दीन, ग्राम-भगवानपुर, पोस्ट-नरही लोकही, जिला-मधुबनी ने साठ हजार रुपये अपने एकाउन्ट नम्बर 33894722660 में ट्रान्सफर करा लिया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि श्री यादव द्वारा मोहम्मद अंसारी के विरुद्ध सहरसा थाना में जालसाजी का मुकदमा दर्ज करने के लिये आवेदन दिया था, लेकिन थाना प्रभारी, सहरसा द्वारा उक्त मुदालय का नाम हटाकर अज्ञात के विरुद्ध सहरसा थाना मु0 नं0 670/15 दर्ज किया गया परन्तु अबतक कोई कार्रवाई नहीं की गई है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मुकदमे की जाँच शीघ्र पूरा कराते हुये शिथिलता बरतने वाले पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अभियुक्तों की गिरफ्तारी

*6. श्री महेश्वर प्रसाद यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत गायघाट थाना कांड संख्या 116/2010 में ग्राम-पिरौछा के उमेश सिंह एवं अन्य के विरुद्ध लूट एवं रंगदारी के मामले को वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर द्वारा सत्य करार दिया गया है, परन्तु अभियुक्त की गिरफ्तारी अभीतक नहीं हुई है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त कांड के उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*7. श्री जयवर्धन यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के पालीगंज अनुमंडल के मुख्य बाजार में लगभग पाँच वर्षों से जाम की स्थिति के कारण वाहन सहित आम जनता को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त जाम से मुक्ति हेतु कौन-सी कार्रवाई कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*8. श्रीमती सुनीता सिंह चौहान--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बेलसंड प्रखंड के धमौल पंचायत के दरियापुर कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ओ0 पी0 खोलना

*9. श्री चन्द्रसेन प्रसाद--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला अन्तर्गत इसलामपुर प्रखंड के वेले पंचायत के पास अवस्थित जैतीपुर बाजार में पुलिस ओ0 पी0 नहीं रहने के कारण पुलिस प्रशासन को प्रशासनिक कार्यों में कठिनाई होती है तथा इसलामपुर थाना से जैतीपुर बाजार की दूरी 15 कि0 मी0 है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर पुलिस ओ0 पी0 खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*10. श्रीमती सुनीता सिंह चौहान--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत परसौनी प्रखण्ड के डुमरा ननौरा पंचायत के गिसारा ग्राम में स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तानों की घेराबंदी

*11. श्री अशोक कुमार सिंह (224)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत शेरघाटी प्रखंड के ग्राम-घाघर में दरगाह कब्रिस्तान एवं डोभी प्रखंड के ग्राम-अच्छमा में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने से कब्रिस्तान के जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त वर्णित कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तानों की घेराबंदी

*12. श्री रमेश सिंह कुशवाहा--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत मैरवा प्रखंड के हमलौली गाँव और जीरादेई प्रखंड के बढ़ैया गाँव के कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का जीर्णोद्धार

*13. श्री अरूण कुमार सिन्हा--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना के कंकड़बाग के डिफेन्स कॉलोनी पुलिस चौकी भवन पिछले पाँच वर्षों से अत्यंत जर्जर है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पुलिस चौकी भवन का जीर्णोद्धार कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*14. श्री महेश्वर प्रसाद यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत गायघाट एवं बेनीबाद थाना का अपना भवन नही रहने के कारण उक्त दोनों थाना में पदस्थापित कर्मी को कार्य करने एवं हथियारों को सुरक्षित रखने में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त दोनों थाना के भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

राशि लौटाना

*15. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह--क्या मंत्री, निर्वाचन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत 1995, 2004, 2010, 2015 के विधान-सभा चुनाव में नबीनगर विधान-सभा चुनाव के प्रत्याशियों के नामांकन की राशि लौटाई नहीं गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद लोक सभा क्षेत्र के वर्ष 1996 के लोक सभा चुनाव का नामांकन राशि भी नहीं लौटायी गई है ;

(3) क्या यह बात सही है कि नामांकन की राशि जमानत बचने के बाद लौटाने का प्रावधान है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त सभी चुनाव के नामांकन की राशि नियमानुसार लौटाने का विचार रखती हैं, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस पिकेट खोलना

*16. श्री कुमार सर्वजीत--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत फतेहपुर प्रखंड के गुरपा गाँव झारखंड राज्य से सटा हुआ है तथा उक्त गाँव में पुलिस पिकेट नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि गुरपा गाँव फतेहपुर थाना में अवस्थित है। फतेहपुर थाना से गुरपा गाँव की दूरी 20 कि0 मी0 होने के कारण थाना प्रशासन को प्रशासनिक कार्यों में कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गुरपा गाँव में पुलिस पिकेट कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

यात्रा भत्ता देना

*17. श्री विनोद कुमार सिंह--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि माननीय विधायक, विधान परिषद् सदस्य सांसद रहे महानुभावों के पास प्रतिनियुक्त अंगरक्षक को 1994 से यात्रा भत्ता देय है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार के द्वारा प्रतिनियुक्त अंगरक्षकों में से कुछ जिला यथा-मधेपुरा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर में यात्रा भत्ता दिया जा रहा है, जबकि अन्य जिला यथा- कटिहार, पूर्णियाँ, दरभंगा, खगड़िया, बेगूसराय, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद आदि शेष जिलों में प्रतिनियुक्त अंगरक्षक को यात्रा भत्ता नहीं दिया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार एकरूपता लाते हुये सभी जिलों में प्रतिनियुक्त अंगरक्षक तथा मा० के साथ प्रतिनियुक्त अंगरक्षकों को यात्रा भत्ता देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास का निर्माण

*18. श्री विनोद प्रसाद यादव--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत शेरघाटी अनुमंडल में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के पठन-पाठन के लिये छात्रावास नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार शेरघाटी अनुमंडल मुख्यालय में अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*19. श्री अचमित ऋषिदेव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज अंचल के राजस्व मौजा मोहनी ग्राम रेवड़ा मोहनी, वार्ड नं० 9 थाना नं० 42, तौजी नं० 1, खाता नं० 793, खेसरा नं० 1062 रकबा 2 एकड़ 8 डिसमल कब्रिस्तान की अबतक घेराबंदी नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की कबतक घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तानों की घेराबंदी

*20. श्री विनोद प्रसाद यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत शेरघाटी प्रखंड के ग्राम-चांपी एवं आमस प्रखंड के ग्राम-श्यामनगर नीमा में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने से कब्रिस्तान के जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त वर्णित कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था

*21. श्री चन्द्रसेन प्रसाद--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत एकंगरसराय प्रखंड के एकंगरसराय चौराहे पर पुलिस ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं होने के कारण विगत पाँच वर्षों से जाम की समस्या बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार एकंगरसराय चौक पर ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कानूनी कार्रवाई करना

*22. श्री रामदेव राय--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के भगवानपुर प्रखंड में 15 अगस्त, 2014 स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर तत्कालीन प्रखंड प्रमुख श्री लाल बाबु पासवान को स्थानीय पुलिस जबरन झंडा स्थल से खींचकर अपमानित करते हुये थाना हाजत में बंद कर दिया था जिस कारण वे झंडा फहराने से वंचित रह गये ;

(2) क्या यह बात सही है कि उन्हें किसी भी परिस्थिति में झंडोतोलन करने से रोका जाना सिर्फ राष्ट्रीय अपमान ही नहीं संविधान विरोधी आपराधिक कार्य है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गैर-संवैधानिक कार्य करने वाले दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना भवन का निर्माण

*23. श्री विजय कुमार खेमका--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत नगर निगम के मधुबनी टी०ओ०पी० थाना का भवन काफी पुराना एवं जर्जर है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पुराने एवं जर्जर भवन में ही थाना कार्यालय एवं आरक्षी का आवास भी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त जर्जर थाना भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*24. श्री अशोक कुमार सिंह (203)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिलान्तर्गत रामगढ़ विधान-सभा क्षेत्र के प्रखंड नुवाँव में अखीनी एवं प्रखंड रामगढ़ में बरौदा गाँव में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त गाँवों में कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उड़ान की सुविधा

*25. श्री विद्या सागर केशरी--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय (नागरिक विमानन) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के फारबिसगंज प्रखण्ड में पड़नेवाला हवाई अड्डा चीन युद्ध के बाद 1962 ई० से आजतक सुव्यवस्थित नहीं की गयी ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सामरिक दृष्टि एवं नागरिक सुविधा को ध्यान में रखते हुये सरकार उक्त हवाई अड्डा पर डोमेस्टिक उड़ान की सुविधा प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*26. श्रीमती लेशी सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णिया जिला के धमदाहा प्रखण्ड अधीन अमारी कुकरौन कब्रिस्तान की घेराबंदी क्षतिग्रस्त हो जाने से कब्रिस्तान का अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार अमारी कुकरौन कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पूर्ण थाना का दर्जा

*27. श्री सैयद अबु दौजाना--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के चेरौत प्रखंड में ओ०पी० वर्षों से कार्यरत है तथा इस क्षेत्र के कई हिस्से नक्सलियों से प्रभावित है, यदि हाँ, तो क्या सरकार चेरौत ओ०पी० को पूर्ण थाना का दर्जा देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रतिलिपिकरण का कार्य

*28. श्री विनोद कुमार सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गृह विभाग द्वारा विगत् 8-10 वर्षों से प्रतिलिपिक के पद पर नियुक्त कर्मियों से सचिवालय की स्थापना शाखा में सहायक के टेबुल का कार्य आवंटित कर स्थापनादि का कार्य कराये जाने से प्रेषण शाखा से संबंधित प्रतिलिपिकरण का कार्य बाधित होता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार प्रतिलिपिकों को सहायक के टेबुल के कार्यों से मुक्त करते हुये पदानुरूप प्रतिलिपिकरण का कार्य कराये जाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना भवन का निर्माण

*29. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला का कल्याणपुर थाना नक्सल प्रभावित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त थाना को जमीन आवंटित नहीं होने से थाना का भवन निर्माण नहीं हो पा रहा है तथा थाना पुराने खपरैल एवं फूस के घर में चल रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कबतक थाना के लिये जमीन उपलब्ध कराकर थाना भवन निर्माण की प्रक्रिया पूरा कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तानों की घेराबंदी

*30. श्री सैयद अबु दौजाना--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के सुरसंड प्रखंड के अमाना पंचायत के ग्राम अमाना एवं श्रीखण्डी भिट्ठा पश्चिमी पंचायत के ग्राम हनुमान नगर गोट गाँव के कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबन्दी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*31. श्री (मो०) आफाक आलम--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत कसबा प्रखंड के मोहनी टिकापुर पंचायत के मिर्जावारी पश्चिम सड़क से सटा कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुयी है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*32. श्री (मो०) नेमातुल्लाह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत बरौली प्रखंड के बतरदेह कब्रिस्तान की घेराबन्दी कार्य हेतु वर्ष 2005 में जिलाधिकारी, गोपालगंज को विभाग द्वारा आदेश दिया जाना था, लेकिन आजतक कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

तस्करी पर रोक

*33. श्री अनिल सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार प्रदेश से पशुओं की तस्करी जोरों पर है;

(2) क्या यह बात सही है कि तस्करी के दौरान पकड़े गये पशुओं के रखने एवं चारा की व्यवस्था नहीं रहने के कारण पशुओं की तस्करी पर रोक लगाने वाले पदाधिकारी इस कार्य में शिथिलता बरत रहे हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार तस्करी के दौरान पकड़े गये पशुओं के रखने एवं चारा की व्यवस्था कर तस्करी पर मुस्तैदी से रोक लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*34. श्री महबूब आलम--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कटिहार जिलानन्तर्गत बारसोई प्रखण्ड के दौला मौजा के कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने से कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार कब्रिस्तान की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराते हुये कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों?

पुलिस थाना स्थापित करना

*35. डॉ० रामानुज प्रसाद--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिला के दिघवारा प्रखण्डान्तर्गत शीतलपुर बाजार के आस-पास के इलाकों में घनी आबादी आवासित है, जो दिघवारा थाना एवं दरियापुर थाना की सीमा पर अवस्थित है, जिसकी दूरी लगभग 8-10 कि०मी० है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों थानों की दूरी एवं एक दूसरे थानों के सीमा विवाद के कारण आये दिन आपराधिक घटनायें होती रहती हैं तथा विधि-व्यवस्था संधारण में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त इलाके के लोगों की जान-माल की सुरक्षा हेतु शीतलपुर बाजार में एक पुलिस थाना स्थापित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

व्यावसायियों की सुरक्षा

*36. श्री तार किशोर प्रसाद--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत कटिहार नगर थाना काण्ड संख्या 391/16 द्वारा दर्ज घटना में श्री राधेश्याम सोनी, आभूषण बिक्रेता के दुकान में अपराधियों द्वारा दिन दहाड़े आभूषण लूट लिया गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि इस घटना में अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है, लेकिन लूटे गये आभूषण की बरामदगी नहीं हो पाई है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक लूटे गये आभूषण की बरामदगी तथा व्यावसायियों की सुरक्षा के लिये कौन-सी कदम उठाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों?

ओ०पी० को थाना का दर्जा देना

*37. डॉ० मेवा लाल चौधरी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिलान्तर्गत टेटिया बम्बर प्रखण्ड में अवस्थित ओ०पी० की स्थापना 25 साल पहले की गई है, किन्तु उसे अभीतक थाना का दर्जा नहीं मिला है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त ओ०पी० को थाना का दर्जा कबतक देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जाँच कर कार्रवाई

*38. श्री सरोज यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत बड़हरा, सिन्हा एवं कृष्णगढ़ थानाध्यक्षों की मिलीभगत से शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब की बिक्री उत्तर प्रदेश से लाकर धंधेबाजों द्वारा धड़ल्ले से हो रही है;

(2) क्या यह बात सही है सूचना होने के बावजूद भी कोई रोक नहीं लगाई गई है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या राज्य सरकार अवैध शराब की बिक्री के संबंध में उक्त थानाध्यक्षों की भूमिका की जाँच कर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

उर्दू नियमावली बनाना

*39. श्री आबिदुर रहमान--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के उर्दू भाषियों को उच्चस्तरीय उर्दू अवार्ड वर्ष 2016 से बंद कर दिया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि 4 जनवरी, 2016 को उक्त विषय पर माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उर्दू निदेशालय के साथ एक समीक्षात्मक बैठक हुई जिसमें ''उर्दू पुरस्कार नियमावली'' बनाकर उर्दूभाषियों के कवियों, साहित्यकारों को फिर से उच्चस्तरीय उर्दू अवार्ड पुरस्कार वितरण का निदेश दिया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो उर्दू पुरस्कार नियमावली को अभीतक तैयार नहीं करने का क्या औचित्य है ?

मूल्य का निर्धारण

*40. श्री विनय बिहारी--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में गन्ना की पेराई का कार्य प्रारम्भ हो गया है किन्तु अभीतक गन्ना किसानों को गन्ना के मूल्य का निर्धारण नहीं हो सका है, जिससे गन्ना किसान असमंजस की स्थिति में हैं;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गन्ना किसान की सुविधा के लिये ''गन्ना के मूल्य'' का निर्धारण करने का विचार रखती हैं, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जमीन वापस कराना

*41. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह— क्या मंत्री, गन्ना उधोग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के सरिचतपुर में मेसर्स कमलापुर सुगर रिफाइनरी लि० को राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् की स्वीकृति के आलोक में विभागीय पत्रांक 501, दिनांक 13 मार्च, 2008 के द्वारा चिनी मिल स्थापना हेतु जमीन क्रय किये जाने के लिये 185.76 एकड़ का प्राधिकार पत्र निर्गत किया गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि निवेशक को तीन वर्ष के अन्दर चीनी मिल स्थापित करना था, लेकिन 8 वर्ष बीत जाने के के बाद भी आजतक चीनी मिल की स्थापना नहीं हो सका और न ही किसान का जमीन वापस किया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्राधिकार पत्र कैंसिल कर चीनी मिल की स्थापना हेतु ली गई किसानों के जमीन को वापस कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

आवासीय विद्यालय की स्थापना

*42. श्रीमती सावित्री देवी — क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिला के अन्तर्गत सोनो प्रखंड में अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं की संख्या लगभग 8-10 प्रतिशत है, परन्तु वहाँ अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु एक भी आवासीय विद्यालय कार्यरत नहीं है जिससे अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय की स्थापना करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तानों की घेराबंदी

*43. श्री (मो०) नवाज आलम—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत आरा विधान-सभा क्षेत्र में कब्रिस्तानों की घेराबंदी की प्राथमिकता सूची बनी हुई है;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2016 में पैसा उपलब्ध होने के बावजूद आरा प्रखंड के करवाँ कब्रिस्तान खाता नं० 350 थाना नं० 176 एवं धनुपरा खाता नं० 2556, खेसरा नं० 526, 862 की घेराबंदी नहीं हुई है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वित्तीय वर्ष 2016-17 में उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तानों की घेराबंदी

*44. श्री रामानुज प्रसाद—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला के सोनपुर प्रखंडान्तर्गत खरीका पंचायत के पहाड़पुर एवं नयागाँव पंचायत के बहेड़वागाछी कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हो पाई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त वर्णित कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना का निर्माण

*45. श्री विनय बिहारी—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला अन्तर्गत मनुआपुल थाना तीन कमरों में चलता है;

(2) क्या यह बात सही है कि जन सहयोग से बने उक्त कमरों में पुलिस कर्मी रहते हैं परन्तु पुलिस कर्मियों के आवश्यक सुविधा का घोर आभाव है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जमीन का अधिग्रहण कर उक्त थाना का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*46. श्री निरंजन कुमार मेहता—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला के ग्वालपाड़ा प्रखंड के सरौनीकला पंचायत के वार्ड नं० 08 में स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बैंक की शाखा खोलना

*47. श्रीमती सावित्री देवी—क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिलान्तर्गत सोनो प्रखंड मुख्यालय एक व्यावसायिक स्थल रहने के बावजूद वहाँ भारतीय स्टेट बैंक की शाखा नहीं रहने के कारण आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार सोनो प्रखंड मुख्यालय में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा कबतक, खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

गन्ना मिल खोलना

*48. श्री नरेन्द्र नारायण यादव—क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि जिला मधेपुरा अन्तर्गत अनुमंडल उदाकिशुनगंज के अधीन प्रखंड ग्वालपाड़ा, बिहारीगंज उदाकिशुनगंज, पुरैनी एवं आलमनगर में बड़े पैमाने पर गन्ना की खेती होती है;

(2) क्या यह बात सही है कि अनुमंडल मुख्यालय उदाकिशुनगंज में गन्ना मिल नहीं रहने के कारण किसानों को गन्ने का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अनुमंडल मुख्यालय उदाकिशुनगंज में गन्ना मिल खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*49. श्री अचमित ऋषिदेव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज अंचल के राजस्व मौजा मोहनी ग्राम-दुर्गापुर, थाना नं० 42, तौजी नं० 1, खाता नं० 293, खेसरा नं० 849, 851, 852, 855, 862, 863, 864 एवं 909 कुल रकबा 8 एकड़ 90 डीसमल कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की कबतक घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जाम से निजात

*50. श्री राजेश कुमार--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत अम्बा, औरंगाबाद एवं देव, नवीनगर एन०एच०आई० 139 रोड चौक पर हमेशा ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जाम रहने के कारण कभी-कभी रास्ते में मरीजों की मौत हो जाती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त जाम से निजात दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की पक्की घेराबंदी

*51. श्री रामचन्द्र सहनी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत सुगौली प्रखंड के भटहाँ पंचायत के खोदानगर कब्रिस्तान की पक्की घेराबन्दी नहीं होने के कारण कब्रिस्तान की भूमि का अतिक्रमण होने से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार खुदानगर कब्रिस्तान की पक्की घेराबन्दी का कार्य कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ओ०पी० बनाना

*52. श्रीमती गायत्री देवी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड अंतर्गत भीसवा बाजार से सरकार को सत्तर लाख से ज्यादा राजस्व प्राप्त होता है, परन्तु वहाँपर ओ०पी० नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखण्ड अन्तर्गत भीसवा बाजार में ओ०पी० बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तानों की घेराबंदी

*53. श्री निरंजन कुमार मेहता--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला ग्वालपाड़ा प्रखंड के टेमाभेला पंचायत के वार्ड नं० 01 एवं 02 में स्थित कब्रिस्तानों की घेराबंदी नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वार्ड के कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*54. श्री राज किशोर सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के वैशाली प्रखंड अन्तर्गत महम्मदपुर पंचायत के माधोपुर, चकफरीदन कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अधिसूचना निर्गत करना

*55. श्री (मो०) नेमातुल्लाह--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला के बरौली प्रखंड को अनुमंडल बनाने की सारी प्रक्रियात्मक कार्रवाई वर्ष 2005 में ही पूर्ण हो गयी है, परन्तु अभीतक अधिसूचना विभाग द्वारा निर्गत नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक बरौली को अनुमंडल का दर्जा देने से संबंधित अधिसूचना निर्गत करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पलायन रोकना

*56. श्री फैयाज अहमद--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्व० कर्पूरी ठाकुर के कार्यकाल में बुनकरों के उत्थान हेतु बिहार स्टेट हैण्डलूम को-ऑपरेटिव संघ एवं जिला हस्तकरघा बुनकर सहयोग समिति संघ की स्थापना की गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि मधुबनी, सीतामढ़ी, सीवान, बिहारशरीफ, पूर्णियाँ एवं भागलपुर स्थित उक्त संस्था के बंद हो जाने से वहाँ के बुनकरों की हालत दयनीय हो गयी है तथा वे लोग रोजी-रोटी की तलाश में पलायन को मजबूर हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य में बुनकरों की स्थिति में सुधार लाने एवं उनके पलायन को रोकने हेतु उक्त संस्था को क्रियाशील बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अग्निशामक केन्द्र स्थापित करना

*57. डॉ० शकील अहमद खाँ--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत कदवा प्रखण्ड में अग्निशामक केन्द्र नहीं हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखण्ड में अग्निशामक केन्द्र नहीं होने के कारण अगलगी के समय में अनुमंडल मुख्यालय बारसोई से कदवा प्रखण्ड की दूरी 30 कि०मी० से अधिक रहने के कारण अग्निशामक यंत्र समय पर नहीं पहुँच पाते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड में अग्निशामक केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

हत्यारों की गिरफ्तारी

*58. श्री तार किशोर प्रसाद--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अन्तर्गत दिनांक 3 फरवरी, 2016 को लखन अग्रवाल एवं कदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत नरेश केवट की हत्या दिनांक 14 मई, 2016 को अपराधियों द्वारा कर दी गई है;

(2) क्या यह बात सही है कि इन हत्याओं के संबंध में क्रमशः दर्ज कांड संख्या 11/2016 तथा 88/2016 के आलोक में पुलिस हत्यारों को अभीतक गिरफ्तार नहीं कर पायी है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कांड में दर्ज हत्यारों को गिरफ्तार करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रतिनियुक्त करना

*59. (डॉ०) मो० जावेद--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला में 1 वर्ष से उप-विकास आयुक्त (DDC) की प्रतिनियुक्ति नहीं होने के कारण विकास कार्य बाधित है, यदि हाँ, तो क्या सरकार किशनगंज जिला में उप-विकास आयुक्त को प्रतिनियुक्त करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

आदमकद प्रतिमा लगाना

*60. डॉ० मेवालाल चौधरी--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-क्या यह बात सही है कि मुंगेर, जिलाधिकारी के पत्रांक 400, दिनांक 12 मई, 2011 द्वारा मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को तारापुर प्रखण्ड में 13 शहीदों की आदमकद प्रतिमा लगाने हेतु प्रस्ताव भेजा गया है, किन्तु उक्त पत्र के आलोक में विभागीय स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी, यदि हाँ, तो क्या सरकार तारापुर में प्रस्तावित स्थल पर 13 शहीदों की आदमकद प्रतिमा लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिरिक्त बिहार निवास का निर्माण

*61. श्री मुन्द्रिका सिंह यादव--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार से दिल्ली जानेवाले माननीय विधायकों, पूर्व विधायकों को बिहार भवन एवं बिहार निवास, नई दिल्ली में कमरा के कमी के कारण आरक्षण नहीं मिल पाता है, जिसके कारण दिल्ली में रहने की समस्या उत्पन्न हो जाती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार प्रश्नाधीन समस्या को देखते हुये अतिरिक्त बिहार निवास का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्थापित करना

*62. डॉ० रामानन्द यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत संपतचक प्रखंड के ग्राम-गौरीचक के सामुदायिक भवन में गौरीचक थाना का कार्यालय चल रहा है एवं सभी थाना कर्मी पूर्व थाना स्थल पर ही रह रहे हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि गौरीचक सामुदायिक भवन में पहले आम लोगों के द्वारा सामाजिक एवं शादी विवाह का कार्यक्रम होता था, लेकिन थाना खुल जाने के कारण सारा सामाजिक कार्यक्रम बंद हो चुका है, जिसके कारण ग्रामीणों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गौरीचक थाना को पूर्व थाना स्थल पर स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*63. श्री राज किशोर सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के वैशाली प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत अमृतपुर के कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तानों की घेराबंदी

*64. श्री ललन पासवान--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत चेनारी प्रखंड के भरन्दुआ एवं कर्णपुरा स्थित कब्रिस्तानों की घेराबन्दी नहीं होने के कारण जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तानों को कबतक घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पेंशन का भुगतान

*65. श्री राम विलास पासवान--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला के अपराध अनुसंधान विभाग में श्रीमती पद्मावती देवी, ASI पद पर पदस्थापित थी, जिसकी मृत्यु दिनांक 1 फरवरी, 2013 को हो गयी ;

(2) क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा 50 प्रतिशत पेंशन का भुगतान उनके पति श्री महमूद आलम को स्वीकृत किये जाने के बाद मा० व्यवहार न्यायालय, बक्सर में दायर रिट याचिका 09/14-7/14 के कारण विभागीय ज्ञापांक 1594, दिनांक 11 जून, 2015 के द्वारा स्वीकृत पेंशन को रोक दिया गया है;

(3) क्या यह बात सही है कि मा० न्यायालय द्वारा उक्त याचिका खारिज करते हुये श्री महमूद आलम के रिभोकेशन वाद संख्या 08/15 के अनुसार वास्तविक उत्तराधिकारी को पेंशन की स्वीकृति का आदेश दिया गया। श्री आलम द्वारा उक्त न्यायालय के आदेश की प्रति दिनांक 8 अगस्त, 2016 को विभाग को समर्पित करने के बाद भी आजतक पेंशन एवं मृतांत लाभ का भुगतान नहीं किया जा रहा है;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार श्री महमूद आलम को पारिवारिक पेंशन का भुगतान कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुमंडल बनाना

*66. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत बारून प्रखण्ड अनुमंडल बनाने की सभी मानक को पूरा करता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार बारून को कबतक अनुमण्डल बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 28 नवम्बर, 2016 (ई०)।

रामश्रेष्ठ राय,
सचिव,
बिहार विधान-सभा।

बि०स०मु० (एल०ए०), 46-D.T.P--500